बिहार विधान परिषद् सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-03/2019 10.02.2020

1. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-03/2019 के आलोक में सहायक (उर्दू प्रकाशन), अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी) एवं सहायक अवधायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 20.10.2019 एवं 21.10.2019 को आयोजित CBT परीक्षा का परीक्षाफल बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर प्रकाशित है।
2. CBT परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का यथाविहित अगले चरण की एम.एस. वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा दिनांक 15.02.2020 को पटना स्थित केन्द्रों में आयोजित है।
3. प्रवेश-पत्र (Admit Card) दिनांक 11.02.2020 को 12:00 बजे मध्या. से बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट http://www.biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपने Registration Id एवं Password के द्वारा ऑनलाईन लॉग-ईन के माध्यम से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को डाक से (by Post) इसकी सूचना निर्गत नहीं की जाएगी।

परीक्षार्थियों हेतु दिशा-निर्देश

4. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की प्रति अलग से अपने पास रखेंगे। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा दिया जाएगा।
5. परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर अंकित सभी अनुदेशों का अवश्य अध्ययन करेंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (कलर प्रिंट) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
7. प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मूल प्रति में) के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान-पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
8. परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहूंचेंगे। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में दिए गए समय का निश्चित रूप से अनुपालन करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. परीक्षा केन्द्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाईल फोन, ब्लूटुथ डिवाइस, हेडफोन, पेन- बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी, प्रतिबंधित दवाएं आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।
10. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
11. परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।
12. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
13. यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतिक्षा करनी पड़ सकती है।
14. किसी जानकारी हेतु ई-मेल आई.डी. bvphelpdesk@gmail.com पर परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक संपर्क कर सकते हैं।

15. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर आने-जाने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या- 06122215667 तथा ई- मेल: blc-bih@nic.in पर सूचित करें। ऐसे तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह./-

(विनोद कुमार)

कार्यकारी सचिव

बिहार विधान परिषद्